

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/275
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00183
CICOM/R/2019/00660

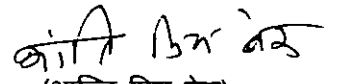
दिनांक: 25.11.2019

अपीलकर्ता : श्री अभिषेक कुमार गुप्ता,
पुत्र - श्री कृष्ण नारायण गुप्ता,
488/512/20 सीतापुर ब्रांच रोड,
डालीगंज, लखनऊ ।

निर्णय की तारीख: 25.11.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	26.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.10.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	18163/15.10.2019

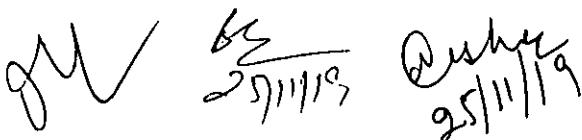
- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 26.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 12.10.2018 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 26.08.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री ए. के. असीजा द्वारा दिनांक 23.09.2019 को प्रेषित की गई आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 4 एवं 5 से संबंधित सूचना सपष्ट एवं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 एवं 3 से संबंधित प्रदान की गई सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहमत नहीं हैं । तदुसार श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 एवं 3 से संबंधित सूचनाएं - दिनांक 12.10.2018 का पत्र किस अनुभाग/रजिस्ट्री में कार्यवाही हेतु लंबित है एवं उक्त पत्र पर की गई अथवा नहीं की गई कार्यवाही की पूर्ण सूचना अपीलकर्ता को इस आदेश के प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाए ।
- तदुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।


(शान्ति प्रिय बेक)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- ✓ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
- श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।


25/11/19 25/11/19

C.I.C./के. सू. आ.
RECEIVED
25 NOV 2019
D. No.
Initials.